क्रमांक/.../2023/4008 /पन्ना, दिनांक 22/11/2023

अधीक्षक,
केन घड़ियाल अभ्यारण्य
खजुराहो

विषय :- पन्ना जिले में पन्ना टाइगर रिजर्व के बफर जोन से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-43 गुलगंज-अमानगंज-पवई-कटनी मार्ग के विस्तार/चौड़ीकरण हेतु 31.82 हेक्टेयर वनभूमि (ऑनलाईन आवेदित 31.90 हे0) लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग सागर को उपयोग पर देने बावत्।

संदर्भ :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध) मध्यप्रदेश भोपाल का पत्र क्रमांक/एफ-5/1215/2023/10-11/1919 दिनांक 12.05.2023

---00---

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से भारत सरकार के पत्र में उल्लेखित बिन्दु क्र. 02, 05 एवं 09 की पूर्ति की जाकर प्रतिवेदन इस कार्यालय द्वारा प्रेषित किये जाने के निर्देश प्राप्त हुये है। जिसके संदर्भ में बिन्दु क्र. 02 के तहत "Justification for location of the project in forest land shall be submitted/uploaded." की जानी है।

अतः वनभूमि में परियोजना लगाने के औचित्य आवेदक संस्थान द्वारा ऑनलाईन प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया है। वनभूमि में परियोजना लगाने के औचित्य के संबंध में परीक्षण उपरांत प्रतिवेदन 07 दिवस के अंदर देवें।

22/11/23
उप संचालक,
पन्ना टाइगर रिज़र्व, पन्ना

2058
24/11/23

कार्यालय अधीक्षक केन घड़ियाल
अभ्यारण्य खजुराहो (म० प्र०)

क्रमांक 1702 दिनांक 24/11/2023

अतः उपसंचालक पन्ना टाइगर रिजर्व पन्ना की ओर प्रस्ताव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
संलग्न- उपरोक्तानुसार

24.11.23
अधीक्षक
के.घ. अभ्यारण्य, खजुराहो
पन्ना टाईगर रिजर्व, पन्ना

My Computer/D-Drive/DD Letter 2023

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(भू-प्रबंध)
इतपुड़भवन, वन विभाग
भोपाल (म.प्र.)

वन भूमि में परियोजना लगाने का औचित्य (Justification)

गुलगंज – अमानगंज – पवई – कटनी राष्ट्रीय राज्यमार्ग क्रमांक 43 एक्स. विद्यमान मार्ग का चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य किया जाना है। परियोजना में छतरपुर जिले के अंतर्गत प्रस्तावित किमी. 43+00 से प्रस्तावित किमी. 77+00 तक प्रभावित होने वाली कुल वन भूमि 31.900 हेक्टेयर व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित है। प्रस्तावित वन भूमि को परियोजना निर्माण हेतु उपयोग में लिये जाने का क्या औचित्य है इस विषय के परिपेक्ष निम्नानुसार है।

चूँकि परियोजना में यातायात की वृद्धि लगातार होती जा रही है और साथ ही भारी वाहनों की संख्या में भी दिन–ब–दिन वृद्धि होती जा रही है इसलिए मार्ग का चौड़ीकरण किया जाना आवश्यक है। मार्ग के चौड़ीकरण के साथ–साथ इस बात का भी ध्यान दिया जा रहा है कि मौजूदा मार्ग में तीव्र घुमावदार मोड़ को भी कुछ हद तक सीधा किया जा सके ताकि मार्ग में होने वाली दुर्घटना में भी कमी हो सके। साथ ही मार्ग पर कुछ पहाड़ी ढ़लान/चढ़ाव काफी तीव्र है जिनसे भारी वाहनों को चढ़ाई को चढ़ने व उतरने में गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है और आये दिन दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। साथ ही कुछ कस्बों व गॉवों में भी विद्यमान मार्ग का मार्ग रेखा में बदलाव कर बायपास प्रस्तावित किये गये है, ताकि गॉवों व कस्बों में लगने वाले जाम तथा दुर्घटना से निजात पा सके।

अतएवं उपरोक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जब मौके पर विद्यमान मार्ग के चौड़ीकरण एवं उन्नयन हेतु निरीक्षण किया गया तो पाया गया की मार्ग के कुछ हिस्सों में दोनों तरफ वनभूमि लगी हुई है और यदि मार्ग की उपरोक्त समस्याओं का निदान किया जाता है तो निश्चित ही वनभूमि की आवश्यकता पड़ेगी।

अतः उपरोक्त मार्ग के उचित निर्माण हेतु वनभूमि का व्यपवर्तन किया जाना ही एक मात्र विकल्प है जो वनभूमि के व्यपवर्तन के औचित्य सहित प्रेषित है।

S.D.O.
W.D. (N.H.) Sub. Division
Chhatarpur (M.P.)

अधीक्षक
के.ग. अभ्यारण्य, खजुराहो
पन्ना टाईगर रिजर्व, पन्ना

कार्यपालन यंत्री
लो.नि.वि.रा.रा. संभाग
सागर

Deputy Director,
Panna National Park,
Panna (M.P.)

Scanned with CamScanner